

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा**  
**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 59/2024 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी – ए.यू. स्मॉल  
फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा  
कार्यालय गायत्री आश्रम अजमेर  
रोड़ भीलवाड़ा।

उनवान

बनाम

1. श्री शैतान सिंह बैरवा पुत्र  
जगन्नाथ बैरवा निवासी टिकड़,  
कुचवाड़ाखुर्द तहसील जहाजपुर  
जिला शाहपुरा।
2. श्री पोखर लाल बैरवा पुत्र  
जगन्नाथ बैरवा निवासी बैरवा  
मोहल्ला कुचवाड़ाखुर्द तहसील  
जहाजपुर जिला शाहपुरा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी – श्री विजेन्द्र सिंह जरिये अधिवक्ता गोपाल सोनी।



**निर्णय**

दिनांक : 11/12/2024

प्राधिकृत अधिकारी – ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय गायत्री आश्रम अजमेर रोड़ भीलवाड़ा ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 2,20,000/- रुपये का ऋण दिनांक 31.12.2021 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर जो भूमि व भवन अचल सम्पत्ति श्री शैतान सिंह बैरवा पुत्र जगन्नाथ बैरवा की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-46 दिनांक 20.09.2019, ग्राम कुचलवाड़ाखुर्द, ग्राम पंचायत टीकड़ तहसील जहाजपुर तत्कालीन जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1092 वर्ग फीट है जिसकी सीमाएं उत्तर- सोराज/रामदेव का मकान, दक्षिण- रंगलाल/छोटू बैरवा का मकान, पूर्व- आम रास्ता एवं पश्चिम- उंकार/रामदेव नाथ का मकान है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 12.09.2024 तक कुल बकाया ऋण की राशि 1,94,332/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 08.09.2024 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर

दिया था, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (ऋणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति ( श्री शैतान सिंह बैरवा पुत्र जगन्नाथ बैरवा की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-46 दिनांक 20.09.2019, ग्राम कुचलवाड़ाखुर्द, ग्राम पंचायत टीकड़ तहसील जहाजपुर तत्कालीन जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1092 वर्ग फीट है जिसकी सीमाएं उत्तर- सोराज/रामदेव का मकान, दक्षिण-रंगलाल/छोटू बैरवा का मकान, पूर्व- आम रास्ता एवं पश्चिम- उंकार/रामदेव नाथ का मकान है ) का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत) 11/12/24  
जिला कलेक्टर एवं  
जिला सजिस्ट्रेट शाहपुरा (राज.)